करेंट अफ़ेयर्स

झारखण्ड

(संग्रह)

मई

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखण्ड **3**

- पलामू टाइगर रिज़र्व 3
- पारसनाथ पहाड़ी 3
- उच्च न्यायालय ने पॉलिसी विवरण के बिना तीसरे पक्ष के दावों की अनुमति दी 5
- मंडल बाँध परियोजना का पुनरुद्धार 5
- झारखंड में जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) की बैठक 6
- बिरसा मुंडा 8
- कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की 10
- प्रोजेक्ट साथी 12

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

झारखण्ड

पलामू टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

प्राधिकारियों ने पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR) के अंदर स्थित पहले गाँव *जयगीर* को सफलतापूर्वक उसके मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह बाहर स्थानांतरित कर दिया है। यह स्थानांतरण वन्य आवास पर जैविक दबाव को कम करता है और जंगली जानवरों को जीवन यापन करने के लिये एक **मानव-मुक्त क्षेत्र** प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु

- **PTR में पहला पूर्णत: स्थानांतरित गाँव:**
  - जयगीर गाँव को रिज़र्व के मुख्य क्षेत्र के बाहर पोलपोल के निकट 75 एकड़ के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जहाँ बुनियादी ढाँचे और परिवहन सुविधा में सुधार किया गया है।
  - जयगीर के मूल स्थल को शाकाहारी जानवरों को आकर्षित करने के लिये घास के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, **जिससे शिकार आधार** को समृद्ध करके बाघ संरक्षण **में सहायता मिल सकेगी।**
  - अधिकारियों ने **भविष्य में स्थानांतरण के लिये** मुख्य क्षेत्र के भीतर **आठ और गाँवों की पहचान की है**।
- **मुआवज़ा रणनीति:**
  - चूँकि परिवारों के कई दावेदार थे, इसलिये प्राधिकारियों ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को भूमि दी तथा अन्य को 15 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया।
  - जब तक स्थायी घर बनाए जा रहे हैं, तब तक वन विभाग ने अस्थायी आवास की व्यवस्था की है।

पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR)

- **पलामू टाइगर रिज़र्व की स्थापना वर्ष 1974 में** प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।
- यह विश्व का **पहला ऐसा अभयारण्य है, जहाँ पदचिह्न गणना के आधार पर बाघों की गणना की गई।**
- **'बेतला राष्ट्रीय उद्यान' झारखंड के लातेहार ज़िले** में 1130 वर्ग किमी. के कुल क्षेत्र में फैले पलामू टाइगर रिज़र्व के भीतर 226.32 वर्ग किमी. में स्थित है।

पारसनाथ पहाड़ी

झारखंड उच्च न्यायालय **द्वारा** पारसनाथ पहाड़ी पर **मांसाहारी भोजन, पशु हानि और पर्यटन पर प्रतिबंध** लगाने के आदेश के बाद, संथाल समूह **मरंग बुरु संवता सुसार बैसी (MBSSSB) ने** आदिवासियों के लिये पहाड़ी के धार्मिक महत्त्व का संदर्भ देते हुए **अपने पारंपरिक शिकार अनुष्ठान को जारी रखने** की घोषणा की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

- **अनुष्ठान के बारे में:**
  - प्रतीकात्मक शिकार **मारंग बुरु के जंगलों में होता है,** जहाँ संथाल **प्रतीकात्मक रूप से शिकार करते हुए (जानवरों को मारे बिना) एक रात बिताते हैं,** जिसके बाद पास के गाँव में **दो दिनों की जनजातीय सभा होती है।**
  - इस कार्यक्रम का उपयोग सामुदायिक स्तर के मामलों को संबोधित करने के लिये किया जाता है और **आदिवासी समुदाय के लिये इसका दीर्घकालिक धार्मिक महत्त्व है।**
- **न्यायालय का आदेश:**
  - राज्य उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पारसनाथ पहाड़ी पर कुछ गतिविधियों पर **केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिबंध को लागू करने का निर्देश दिया।**
  - इस पहाड़ी को वर्ष **2019 में पर्यावरण के प्रति** संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था और मंत्रालय के आदेश में मांसाहारी भोजन, जानवरों को नुकसान पहुँचाने और अत्यधिक पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया गया।
  - मंत्रालय के ज्ञापन में **क्षेत्र में धार्मिक इको-पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की योजना पर भी रोक लगा दी गई है,** जिसका जैन समुदाय ने कड़ा विरोध किया है।
- **एक सदी पुराना विवाद:**
  - **पारसनाथ पहाड़ी (मरांग बुरु) पर** जैन और आदिवासी समुदायों के बीच पूजा के अधिकार को लेकर संघर्ष एक सदी से अधिक समय से जारी है।
  - **1911 की जनगणना में** श्वेतांबर जैन संप्रदाय द्वारा दायर एक कानूनी मामले का दस्तावेज़ीकरण किया गया, जो प्रिवी काउंसिल तक पहुँचा, जहाँ आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों को बरकरार रखा गया।

पारसनाथ पहाड़ियाँ

- **पारसनाथ पहाड़ियाँ** झारखंड के गिरिडीह ज़िले में स्थित पहाड़ियों की एक शृंखला है।
- इस पहाड़ी की **सबसे ऊँची चोटी 1350 मीटर है।** यह जैनियों के सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। **वे इसे सम्मेद शिखर कहते हैं।**
- पहाड़ी का नाम **23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ (Parshvanatha)** के नाम पर रखा गया है।
- बीस जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। **उनमें से प्रत्येक के लिये पहाड़ी पर एक तीर्थ (गुमती या तुक) है।**
- माना जाता है कि पहाड़ी पर स्थित कुछ मंदिर 2,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- संथाल समुदाय इसे **देवता की पहाड़ी मारंग बुरु** कहते हैं। वे बैसाख (मध्य अप्रैल) में पूर्णिमा के दिन **शिकार उत्सव** मनाते हैं।

संथाल जनजाति

- **गोंड और भील के बाद यह भारत में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति** है, जो अपने शांतिपूर्ण स्वभाव के लिये जानी जाती है। वे मूल रूप से खानाबदोश थे और बिहार तथा ओडिशा के संथाल परगना में बसने से पहले छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे।
  - ये झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं तथा कृषि, औद्योगिक श्रम, खनन एवं उत्खनन जैसे कार्यों में शामिल हैं।
- वे एक स्वायत्त आदिवासी धर्म में आस्था रखते हैं और पवित्र उपवनों के रूप में प्रकृति की उपासना करते हैं। उनकी भाषा को ***संथाली*** कहा जाता है जिसकी अपनी लिपि है जिसे ***'OL चिकी'*** कहा जाता है जो **आठवीं अनुसूची** में **अनुसूचित भाषाओं** की सूची में शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उनके **कलारूप,** जैसे- **फूटा कच्चा पैटर्न की साड़ी** और **पोशाक** आदि लोकप्रिय हैं। वे कृषि और उपासना से संबंधित विभिन्न त्योहारों तथा अनुष्ठानों को मनाते हैं। संथाल घर, जिन्हें 'Olah' के नाम से जाना जाता है, बाहरी दीवारों पर बहुरंगी चित्रों से सुसज्जित अपने बड़े आकार, सफाई और आकर्षक रूप के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने पॉलिसी विवरण के बिना तीसरे पक्ष के दावों की अनुमति दी

चर्चा में क्यों ?

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हेमलता सिन्हा मामले (2025) में, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद, आश्रितों को अक्सर पॉलिसी विवरणों का अभाव होता है, लेकिन केवल यही **तीसरे पक्ष के** बीमा दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

- **यह निर्णय** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) **के** उपभोक्ता संरक्षण ढाँचे और **2047 तक 'सभी के लिये बीमा'** प्राप्त करने के उसके लक्ष्य के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

IRDAI के बारे में:

- इसकी **स्थापना वर्ष 1999 में** IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी।
- यह एक नियामक संस्था है और इसका गठन बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है।
- यह **वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।**
- **यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए** बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित और देखता है।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 और बीमा अधिनियम, 1938 **में निर्धारित हैं।**

वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा

- IRDAI का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 'सभी के लिये बीमा' प्राप्त करना है।
- **3 स्तंभ:** बीमा ग्राहक (पॉलिसीधारक), बीमा प्रदाता (बीमाकर्त्ता) और बीमा वितरक (मध्यस्थ)

तृतीय-पक्ष बीमा

- तृतीय-पक्ष बीमा एक प्रकार का देयता कवरेज है, जिसमें **बीमाधारक (प्रथम पक्ष) किसी अन्य व्यक्ति (तृतीय पक्ष)** द्वारा किये गए दावों के विरुद्ध **बीमाकर्त्ता (द्वितीय पक्ष)** से सुरक्षा खरीदता है।
- यह तीसरे पक्ष को हुई क्षति या हानि के लिये **प्रथम पक्ष के कानूनी दायित्व को कवर करता है,** भले ही प्रथम पक्ष की गलती हो।
  - इसमें **दुर्घटना पीड़ितों** या उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का प्रावधान है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के तहत भारत में सभी मोटर वाहनों के लिये** यह अनिवार्य है।

मंडल बाँध परियोजना का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों ?

झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR) **में** मंडल बाँध के **जलमग्न क्षेत्र** में स्थित **सात गाँवों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

मंडल बाँध परियोजना के बारे में:

- मंडल बाँध झारखंड के गढ़वा, लातेहार और **पलामू** ज़िलों के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए **PTR में उत्तरी कोयल नदी** पर स्थित है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है।
- इस परियोजना की परिकल्पना कई दशक पहले की गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध,पुनर्वास एवं पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर आम सहमति के अभाव के कारण **यह अक्रियाशील रही।**
  - मंज़ूरी में तेज़ी लाने के लिये वर्ष 2015 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था।
- जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री **द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद** इस परियोजना को **नई गति** मिली।
- इस परियोजना से PTR को लाभ होगा क्योंकि खाली की गई भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे एक बड़ा जल निकाय बन जाएगा, जो **ज़िलों में मानव-पशु संघर्ष की लगातार समस्या को कम करने में मदद कर सकता है।**
- **गाँवों का पुनर्वास:** कुटकू, भजना, खुरा, खैरा, सनेया, केमो और मेराल सहित सात गाँवों को स्थानांतरित किया जाएगा।
- प्रत्येक परिवार को एक एकड़ ज़मीन और 15 लाख रुपए मुआवज़ा मिलेगा।
- ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्थितियाँ प्रदान करने के लिये स्थानांतरित क्षेत्र को एक **मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा।**

पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR)

- PTR झारखंड के पश्चिमी लातेहार ज़िले में छोटा नागपुर पठार **पर स्थित है।**
  - 'बेतला राष्ट्रीय उद्यान' पलामू टाइगर रिज़र्व के 226.32 वर्ग किमी. के क्षेत्र में स्थित है, जो कुल 1,129.93 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- परियोजना क्षेत्र में **मुख्य रूप से साल वन,** मिश्रित पर्णपाती वन और बाँस के वृक्ष हैं।
- यह रिज़र्व क्षेत्र **तीन महत्त्वपूर्ण नदियों कोयल, बुरहा और औरंगा का जलग्रहण क्षेत्र है।**
- इसका गठन वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया था और यह परियोजना के प्रारंभ में देश में स्थापित पहले नौ बाघ रिज़र्वों में से एक है।
  - यह वर्ष 1932 में **पदचिह्न के आधार पर बाघों की गणना करने वाला विश्व का पहला अभयारण्य था।**
- प्रमुख प्रजातियों में **बाघ, हाथी, तेंदुआ, ग्रे भेड़िया, गौर, सुस्त भालू,** चार सींग वाला मृग, भारतीय रतल, भारतीय ऊदबिलाव और **भारतीय पैंगोलिन** शामिल हैं।

झारखंड में जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) की बैठक

चर्चा में क्यों?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) **की बैठक की अध्यक्षता की।**

- इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत (पेसा) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना, **भूमि विक्रय संबंधी मानदंडों को सरल बनाना, जनजातीय कल्याण में सुधार** करना तथा राज्य में **जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण** सुनिश्चित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य बिंदु

जनजाति सलाहकार परिषद (TAC)

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान की पाँचवीं अनुसूची के **अनुच्छेद 244(1)** के अनुसार:
- **अनुसूचित क्षेत्रों** वाले प्रत्येक राज्य में **TAC की स्थापना की जानी चाहिये।**
- राष्ट्रपति उन राज्यों में TAC के गठन का निर्देश दे सकते हैं जहाँ **अनुसूचित जनजातियाँ तो हैं** लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।
  - **उद्देश्य: TAC राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए जाने पर** राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **परिषद संरचना:**
  - TAC में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- राज्य विधानसभा में **लगभग तीन-चौथाई अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधि** होने चाहिये।
- 10 राज्यों के **अनुसूचित क्षेत्रों** में TAC का गठन किया गया है- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान।
- **TAC वाले लेकिन गैर-अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य:** पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996

- **परिचय:**
  - **पेसा अधिनियम** 24 दिसंबर, 1996 को आदिवासी क्षेत्रों, जिन्हें **अनुसूचित क्षेत्र** कहा जाता है, में रहने वाले लोगों के लिये पारंपरिक **ग्रामसभाओं**, जिन्हें ग्रामसभा के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया था।
  - इस अधिनियम ने **पाँचवीं अनुसूची** के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में **स्व-जनजातीय शासन** प्रदान करके पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया।
- **विधान:**
  - अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों को **अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित क्षेत्रों के** रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि **पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के अलावा **अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों** पर लागू होती है।
  - भारत के अनुसूचित क्षेत्र, जो **राष्ट्रपति** द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।
  - 10 राज्यों ने **पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को** अधिसूचित किया है, जो प्रत्येक राज्य के कई ज़िलों को (आंशिक या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं।
    - इनमें **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना** शामिल हैं।
- **महत्त्वपूर्ण प्रावधान:**
  - पेसा अधिनियम ग्राम सभा को विकास प्रक्रिया में **सामुदायिक भागीदारी हेतु एक मंच** के रूप में स्थापित करता है। यह विकास परियोजनाओं की पहचान करने, विकास योजनाएँ तैयार करने और इन योजनाओं को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अधिनियम में विकास गतिविधियों को संचालित करने और समुदाय को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के लिये **ग्राम पंचायत, ग्रामसभा तथा पंचायत समिति** सहित ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है।
- ग्रामसभा और ग्राम पंचायत को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों के विनियमन से **संबंधित महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य प्रदान** किये गए हैं।
- यह अधिनियम **अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों** के संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसके तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण से पहले उनकी सहमति लेना आवश्यक है।
- यह अधिनियम **अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों** की **सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं** की रक्षा करता है तथा इन प्रथाओं में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

नोट

- झारखंड में भारत की **12वीं सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है**, जो देश की अनुसूचित जनजातियों का 8.3% है।
- **झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ:**
  - **गोंड** (भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक)
  - **मुंडा** (भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक)
  - **संथाल** (जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति)

बिरसा मुंडा

चर्चा में क्यों?

25 मई 2025 को लोकसभा **अध्यक्ष ओम बिरला ने** झारखंड के राँची में **जेल संग्रहालय** का दौरा किया और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्य बिंदु

बिरसा मुंडा के बारे में:

- **परिचय**
  - **बिरसा मुंडा** एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक सुधारक और लोक नायक थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - **उनका जन्म 15 नवंबर 1875** को उलिहातु (अब झारखंड के खूंटी ज़िले में) में एक गरीब बटाईदार परिवार में हुआ था
  - वे **मुंडा जनजाति** से संबंधित थे, जो छोटानागपुर पठार का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है।
  - **प्रारंभिक नाम:** दाउद मुंडा, जब उनके पिता ने कुछ समय के लिये ईसाई धर्म अपना लिया था।
- **शिक्षा और प्रारंभिक प्रभाव:**
  - जयपाल नाग के मार्गदर्शन में स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की।
  - चार साल तक मिशनरी स्कूल और बाद में **चाईबासा के बी.ई.एल. स्कूल में** पढ़ाई की।
  - **ईसाई धर्म** से प्रभावित थे लेकिन बाद में सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के कारण इसे अस्वीकार कर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वैष्णव धर्म और आनंद पनरे (एक मुंशी) से प्रभावित होकर उन्होंने अपना आध्यात्मिक संप्रदाय बनाया।
- अपने अनुयायियों द्वारा **भगवान के** रूप में जाने जाने लगे और **बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना की।**
  - उनके अनुयायी उन्हें प्यार से **"धरती आबा"** (पृथ्वी के पिता) कहते हैं।

- **विश्वास और शिक्षाएँ:**
  - जनजातीय देवता सिंहबोंगा की पूजा के माध्यम से एकेश्वरवाद **को** बढ़ावा दिया गया।
  - उन्होंने **शराबखोरी, काले जादू और अंधविश्वासों में विश्वास तथा जबरन श्रम (बेथ बेगारी) के विरुद्ध अभियान चलाया।**
  - स्वच्छ जीवन, स्वच्छता और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित किया गया।
  - जनजातीय संस्कृति और सामुदायिक भूमि स्वामित्व पर गर्व करना सिखाया गया।
- **औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध:**
  - ब्रिटिश भूमि नीतियों ने **खुंटकट्टी भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया,** जहाँ भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व होता था।
  - **जमींदारों और ठेकेदारों (बिचौलियों) ने** आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे अनेक आदिवासी बंधुआ मज़दूर **बन गए।**
  - बिरसा ने अपने लोगों को इन अन्यायों के बारे में शिक्षित किया और उनसे अपने अधिकारों को पुन: प्राप्त करने का आग्रह किया।
- उलगुलान (महान जनजातीय विद्रोह):
  - विद्रोह के कारण:
  - **भूमि की हानि, आर्थिक कठिनाई,** वनों की कटाई और **सांस्कृतिक क्षरण** ने बिरसा को कार्रवाई करने के लिये प्रेरित किया।
    - उलगुलान (विद्रोह) का आह्वान किया और आदिवासियों से **लगान देना बंद करने का आग्रह किया।**
    - **प्रतिरोध का नारा: "अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडु जाना"** *(रानी का शासन समाप्त हो और हमारा शासन शुरू हो)।*
  - **विद्रोह की रूपरेखा:**
    - यह विद्रोह वर्ष **1895 में** ब्रिटिश राज द्वारा लागू की गई भूमि अतिक्रमण और जबरन श्रम नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था।
    - **वर्ष 1895** में बिरसा मुंडा को **दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया** और **दो साल की जेल हुई।**
    - **वर्ष 1897 में रिहा होने** के बाद उन्होंने अपने प्रयास फिर से शुरू किये, समर्थन जुटाने और **जनजातीय नेतृत्व वाले राज्य** के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये वे **गाँव-गाँव गए।**
    - **वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की हैज़ा से मृत्यु हो गई,** जिससे विद्रोह का सक्रिय चरण समाप्त हो गया।
  - **परिणाम और विरासत:**
    - **वर्ष 1908** में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया:
    - आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया।
    - **खुंटकट्टी अधिकारों को** मान्यता दी गई।
    - **बेत बेगारी** (जबरन श्रम) पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **बिरसा मुंडा को सम्मानित करते हुए:**
  - **वर्ष 2021** से **15 नवंबर को** जनजातीय गौरव दिवस *(जनजातीय गौरव दिवस)* के रूप में मनाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उन्हें एक **साहसी नेता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है।**
- कम आयु में निधन के बावजूद उन्होंने **महान रणनीति, साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।**

कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश **को झारखंड उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में** पदोन्नत करने की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु

- **न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 124(2): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के** मुख्य **न्यायाधीश (CJI)** और अन्य न्यायाधीशों के **परामर्श के बाद** राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय **के** न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के **परामर्श के बाद की जाती है।**
  - **कॉलेजियम प्रणाली: कॉलेजियम प्रणाली** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में **न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण** की पद्धति को संदर्भित करती है।
    - **संविधान में** इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसका विकास हुआ है।
- **संघटन:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम:** इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - **उच्च न्यायालय कॉलेजियम:** इसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके दो वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
  - **कॉलेजियम प्रणाली का विकास:** यह प्रणाली **सर्वोच्च न्यायालय के चार ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से विकसित हुई, जिन्हें न्यायाधीशों के मामले** कहा जाता है:
- प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)– एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ
- **सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "परामर्श"** शब्द का अर्थ **"सहमति"** नहीं है।
- इस फैसले ने न्यायिक नियुक्तियों में **कार्यपालिका को प्राथमिकता दी।**
- दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)– सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ
- न्यायालय ने **प्रथम न्यायाधीश मामले को खारिज कर दिया** और कहा कि **परामर्श का अर्थ सहमति है।**
  - कॉलेजियम की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होगा।
- थर्ड जजेज़ केस (1998)
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार कर इसे **पाँच सदस्यों तक कर दिया- मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।**
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
  - 99**वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा** कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC की शुरुआत की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कॉलेजियम सिस्टम

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- अपारदर्शिता
- भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- कार्यपालिका का बहिष्करण
- नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया।
- इस फैसले ने न्यायिक नियुक्तियों के लिये **कॉलेजियम प्रणाली को** एकमात्र तंत्र के रूप में पुन: पुष्टि की।

प्रोजेक्ट साथी

चर्चा में क्यों ?

धनबाद ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने **प्रोजेक्ट साथी** के अंतर्गत **झारखंड के** नक्सल प्रभावित क्षेत्र से **10 अनाथ बच्चों को बचाया**।

मुख्य बिंदु

- **बचाव अभियान के बारे में:**
  - **स्थान:** बच्चों को **धनबाद ज़िले के पूर्वी टुंडी प्रखंड** से बचाया गया, जो नक्सल उग्रवाद के लिये जाना जाता है।
  - **संचालक प्राधिकरण:** यह अभियान **धनबाद ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** के नेतृत्व में चलाया गया।
  - यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा शुरू किये गए **प्रोजेक्ट साथी** का हिस्सा है।
- **पुनर्वास एवं कल्याण उपाय:**
  - **छात्रवृत्ति सहायता:**
    - प्रत्येक बचाए गए बच्चे को **प्रत्येक माह 4,000 रुपए की सरकारी छात्रवृत्ति** प्राप्त होगी, जब तक वे **वयस्क नहीं हो जाते**।
    - यह **वित्तीय सहायता**, बच्चों की **शिक्षा की निरंतरता** और **मूलभूत जीवन आवश्यकताओं** की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दी जाएगी।
- **सत्यापन और निगरानी:**
  - **मौके पर ही आधार और राशन कार्ड का पंजीकरण** किया गया, ताकि बच्चों को **सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके**।
  - **पहचान सत्यापन, बाल कल्याण समिति (CWC)** और अन्य **सरकारी विभागों के साथ समन्वय** कर **निरंतर निगरानी और फॉलो-अप** की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

आधार और ट्रैकिंग एवं समग्र समावेशन तक पहुँच के लिये सर्वेक्षण (SAATHI)

- इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - आधार पंजीकरण के माध्यम से बच्चों की **कानूनी पहचान** सुनिश्चित करना।
  - **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण** तक पहुँच प्रदान करना।
  - दीर्घकालिक **पुनर्वास और समावेशन को सक्षम बनाना।**
- **निराश्रित बच्चे:**
  - 18 वर्ष से कम आयु के वे बच्चे **जिनके पास परिवार, संरक्षकता या स्थिर देखभाल नहीं है**, जिनमें शामिल हैं:
    - सड़कों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, अनाथ, तस्करी और बाल श्रम से बचाए गए बच्चे, अपंजीकृत आश्रयों में रहने वाले बच्चे तथा गुमशुदा बच्चे, जो अपने परिवारों से नहीं मिल पाए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अभियान के मुख्य घटक:**
  - **सर्वेक्षण एवं पहचान:** स्थानीय कार्यकर्त्ताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय के माध्यम से निराश्रित बच्चों का मानचित्रण करना।
  - **आधार पंजीकरण:** **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण** (UIDAI) के सहयोग से बायोमेट्रिक नामांकन शिविरों का आयोजन।
  - **कानूनी सहायता एवं योजना संपर्क:** बच्चों को बाल संरक्षण कानूनों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
  - **निगरानी एवं पुनर्वास:** नामांकित बच्चों पर नज़र रखना, दस्तावेज़ीकरण सहायता प्रदान करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच का समन्वय करना।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :